(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

10/02/2025 पत्रावली पेश। प्रार्थी अभिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी 05, 06 का जवाब पेश नहीं। पूर्व में पर्याप्त अवसर देने के बावजूद पेश नहीं करने से अप्रार्थी 05, 06 का जवाब बन्द किया जाता है। अप्रार्थीगण 01 से 04, 07 से 10 नोटिस शोध अप्रार्थीगण तामिली के उपरान्त भी अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अभिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण तमाम आंबा के वंशज है आंबा के पुत्र लालाराम के पांच पुत्र रणछोडाराम, नेथीराम, लच्छाराम, उकाराम, जयरूपाराम थे। लाला पुत्र आंबा की खातेदारी काराजी गांव- सरनाउ तहसील- सांचौर में पुराने खसरा संख्या 19 रकबा 05 बीघा 19 बीस्वा, खसरा संख्या 229 रकबा 28 बीघा 15 बीस्वा, खसरा संख्या 381 रकबा 44 बीघा 07 बीस्वा, खसरा संख्या 453 रकबा 22 बीघा 18 बीस्वा, खसरा संख्या 457 रकबा 18 बीघा 19 बीस्वा, खसरा संख्या 37 रकबा 23 बीघा 02 बीस्वा, भूमि आई हुई थी। लालाराम की फौत [illegible] भूमि उनके पांचो पुत्र रणछोडाराम, [illegible], लच्छाराम, उकाराम, ~~लच्छाराम~~ जयरूपाराम को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:10:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	उक्त भूमि में आई बन्ट के अनुसार जयरूपाराम को 1/5 हिस्सा मिला है। उक्त पुराने खसरा नम्बरान में से नवीन खसरा संख्या 1000 रकबा 0.06 हेक्टर व खसरा 1001 रकबा 2.99 हेक्टर भूमि सृजित की गई है। जयरूपाराम का दिनांक 07.03.2021 को देहान्त हो चुका है। जयरूपाराम के कानूनी उत्तराधिकारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 01 ता 08 है। उक्त नवीन खसरा नम्बर 1000 व 1001 में जयरूपाराम के फौत होने के बाद उसके तीनों पुत्र भावाराम, पाताराम (प्रार्थी), राणाराम, पुत्रीयां बरजू व समू का बराबर अर्थात 1/5 हक हिस्सा है। मूला का देहान्त हो चुका है। जिनके तीन पुत्र जैठा, मसरा व पेमा है। जैठा फौत हो चुका है जिनके दो पुत्र रूपा व राहुल है। जयरूपाराम ने अपने जीवनकाल में अलग से जमीन खरीद कर मूला को दे दी थी। तथा रजिस्ट्री मूला के नाम कर दी थी। उक्त पैतृक भूमि में प्रार्थी का जन्म से 1/5 हक हिस्सा है तथा प्रार्थी की उक्त पैतृक भूमि में पुश्तैनी रहवासीय ढाणी बनी हुई है, जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित रहवास करता है तथा अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा एवं काश्त प्रार्थी का ही है। प्रार्थी के पिता जयरूपाराम के देहान्त होने पर अप्रार्थी संख्या 01 ता 08 को तहसील कार्यालय में चलकर उक्त भूमि में अपने बयान करने तथा हक हिस्से [illegible] करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी 01 ता 08 कुछ न [illegible] टालमटोल करते रहे। [illegible] होकर कुछ प्रार्थी को ऐलानिया [illegible] दी कि हम भूमि का न तो बंटवारा करेंगे तथा न ही हक हिस्से अनुसार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:16:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	जमाबंदी मे नाम चढवायेंगे। इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 उक्त भूमि के फौतेदगी नामान्तरण एवं बटवारा करने में आनाकानी कर रहे है तथा प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे की भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने तथा प्रार्थी को कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को प्रस्तावित अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें। मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता है अतः अपूरणीय क्षति का प्रश्न ही नही होता है अतः इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु (i) मामला प्रथम दृष्टया (ii) सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी का सारहीन तथा पोषणीय नहीं होने [illegible] द्वारा अस्वीकार कर खारिज [illegible] पत्रावली फैसलाशुदा होकर नियत [illegible] में जमा की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner